विवरणिका
2025-26

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की

(हरिद्वार) उत्तराखण्ड

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 2f एवम् 12b के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त)

नैक प्रत्यायित CGPA 2.77, B++ ग्रेड

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the

National Assessment and Accreditation Council

is pleased to declare

Sri Sanatan Dharam Prakash Chand

Kanya Snatkottar Mahavidyalaya

Roorkee, Dist. Haridwar,

affiliated to Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand as

Accredited

with CGPA of 2.77 on four point scale

at B++ grade

valid up to April 18, 2027

Date : April 19, 2022

S. C. [signature]
Director

EC(SC)/102/2nd Cycle/UKCOGN16888

PROSPECTUS

S.S.D.P.C. GIRLS (PG) COLLEGE

Roorkee (Haridwar) Uttarakhand

(Approved Under Section 2f &12B of UGC Act 1956)

NAAC Accredited 'B^{++}' Grade [CGPA 2.77]

Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul, Tehri Garhwal

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित

विवरणिका

(2025–26)

सम्पर्क सूत्र

☎ 01332-262705

Website : www.ssdpcroorkee.org
Email address : ssd.degree@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ	3
2.	महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं सीटों का विवरण	4
3.	प्रवेश नियम	5–8
4.	अर्हता निर्धारण के नियम	9
5.	कला संकाय	10
6.	विज्ञान संकाय	11
7.	विषय चयन हेतु दिशा निर्देश	12
8.	**Lis of AECC**	13–16
9.	प्रारूप (क) (ख)	17
10.	स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली	18
11.	वार्षिक शुल्क कला संकाय	19
12.	वार्षिक शुल्क विज्ञान संकाय	20
13.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ,	21–24
14.	पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ	25–26
15.	**Committee Incharge List 2025-26**	27
16.	शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग	28

लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार

महाविद्यालय के सूचना अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी	–	डा० अनुपमा गर्ग (प्राचार्या)
सहायक लोक सूचना अधिकारी	–	डॉ० अलका आर्य
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी	–	अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति
कार्यालय दूरभाष नं०	–	01332 – 262705

महाविद्यालय की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ विश्वविद्यालय मेरिटलिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएँ

क्र.स.	नाम	कक्षा	वर्ष	अंक प्रतिशत	विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट में स्थान
1.	कु. ईशा सैनी	एम.ए. चित्रकला	2023	9.4 CGPA	प्रथम (स्वर्ण पदक)
2.	कु. प्राची सिंह	एम.ए. चित्रकला	2020	8.83 CGPA	प्रथम (स्वर्ण पदक)
3.	कु. वैशाली	एम.ए. चित्रकला	2019	8.8 CGPA	प्रथम (स्वर्ण पदक)
4.	कु. कामिनी	एम.ए. चित्रकला	2018	84.3	प्रथम (स्वर्ण पदक)
5.	कु. चन्दा	एम.ए. चित्रकला	2017	87.2	प्रथम (स्वर्ण पदक)
6.	कु. सायरा	एम.ए. राज.विज्ञान	2017	87.1	प्रथम (स्वर्ण पदक)
7.	कु. दीपमाला	एम.ए. चित्रकला	2017	86.5	द्वितीय
8.	कु. निशा	एम.ए. चित्रकला	2017	82.8	पंचम
9.	कु. रितु गोस्वामी	बी.एस.सी.	2017	77.94	दशम
10.	कु. मीनाक्षी	एम.ए. चित्रकला	2016	83.07	षष्ट
11.	कु. सोनिका त्यागी	एम.ए. चित्रकला	2016	82.31	सप्तम
12.	कु. निशांत अंजुम	एम.ए. चित्रकला	2016	81.54	नवम
13.	कु. नेहा	एम.ए. चित्रकला	2016	81.33	दशम
14.	कु. बेबी	बी.एससी.	2016	80.33	षष्ट
15.	कु. छाया त्यागी	बी.ए.	2016	78.00	प्रथम (स्वर्ण पदक)
16.	कु. रीतू रानी	बी.ए.	2016	76.00	तृतीय
17.	कु. अर्चना देवी	एम.ए. चित्रकला	2016	85.97	प्रथम (स्वर्ण पदक)
18.	कु. आंचल कुमारी	एम.ए. चित्रकला	2016	84.50	तृतीय
19.	कु. शिल्पा राय	बी.ए.	2016	81.33	पंचम
20.	कु. मीनाक्षी त्यागी	एम.ए. राज.विज्ञान	2014	73.67	चतुर्थ
21.	कु. दीपा देवी	एम.ए.राजनीति	2014	87.39	प्रथम
22.	कु. अनुराधा	एम.ए.राजनीति	2014	86.11	द्वितीय
23.	कु. परवीन	एम.ए. राज. विज्ञान	2013	73.67	द्वितीय
24.	कु. मीनाक्षी	एम.ए. चित्रकला	2013	86.00	द्वितीय
25.	कु. दिव्या	एम.ए. चित्रकला	2013	85.71	तृतीय
26.	कु. शिवानी	एम.ए. चित्रकला	2013	85.13	चतुर्थ
27.	कु. प्रिया प्रधान	एम.ए. चित्रकला	2012	80.80	द्वितीय
28.	कु. अंजुम आरा	एम.ए. चित्रकला	2012	79.30	चतुर्थ
29.	कु. ललिता देवी	एम.ए. चित्रकला	2012	79.10	पंचम
30.	कु. रूबी रावत	बी.एससी.	2012	77.72	नवम
31.	कु. निभा राठी	एम.ए. राज.विज्ञान	2011	68.78	प्रथम (स्वर्ण पदक)
32.	कु. प्रीति रानी	एम.ए. चित्रकला	2011	77.60	द्वितीय
33.	कु. शिवानी सैनी	एम.ए. चित्रकला	2010	83.60	प्रथम (स्वर्ण पदक)
34.	कु. मीनाक्षी सिन्धु	एम.ए. चित्रकला	2010	80.70	द्वितीय
35.	कु. उपासना	एम.ए. चित्रकला	2010	77.30	चतुर्थ
36.	कु. सुनीता	बी.एससी.	2010	76.67	दशम
37.	कु. प्रीति शर्मा	बी.एस.सी.	2009	79.78	प्रथम (स्वर्ण पदक)
38.	कु. चीनू त्यागी	एम.ए. चित्रकला	2009	79.10	द्वितीय
39.	कु. शिखा कैंथ	एम.ए. चित्रकला	2009	77.50	पंचम
40.	कु. शकन सिंह	एम.ए. चित्रकला	2008	83.63	प्रथम (स्वर्ण पदक)
41.	कु. नीतू	एम.ए. चित्रकला	2008	81.63	तृतीय
42.	कु. निधि गर्ग	बी.एससी.	2008	78.06	तृतीय
43.	कु. मोनिका पंवार	बी.एस.सी.	2007	79.89	द्वितीय
44.	कु. मीनाक्षी	बी.एससी.	2007	78.22	चतुर्थ
45.	कु. पूजा रानी	बी.एससी.	2007	77.94	पंचम
46.	कु. नेहा सिंघल	बी.एससी.	2007	76.83	अष्टम
47.	कु. स्वाति अग्रवाल	बी.एससी.	2007	76.44	नवम
48.	कु. गरिमा गोस्वामी	बी.एससी.	2007	72.44	सप्तम
49.	कु. नीतू	बी.ए.	2006	72.44	चतुर्थ
50.	कु. पूजा गोयल	बी.ए.	2006	71.44	अष्टम
51.	कु. अनुराधा अग्रवाल	बी.एससी.	2005	79.22	पचंम
52.	कु. रूबी गौतम	बी.एससी.	2005	79.22	चतुर्थ

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली) तथा सीटें			
	उपाधि	पाठ्य विषय	उपलब्ध सीटें
नियमित कोर्स	बी.ए.	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, चित्रकला, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र	240
स्ववित्तपोषित कोर्स	बी.एस.सी.–गणित	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित	60
	बी.एससी.–कम्प्यूटर साईंस	भौतिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित	30
	बी.एससी.–जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान	60
	बी.एससी. माइक्रोबॉयोलॉजी	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान	30
	एम.ए. – चित्रकला	चित्रकला	30
	एम.ए. – राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान	30

बी.ए. पाठ्य विषयों के अन्तर्गत सीट विवरण		
क्र.सं.	विषय	उपलब्ध सीटें
1.	हिन्दी	120
2.	अंग्रेजी	120
3.	राजनीति विज्ञान	120
4.	समाजशास्त्र	120
5.	चित्रकला	120
6.	अर्थशास्त्र	60
7.	संस्कृत	60

नोट –

- सत्र 2022 – 23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर से पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।
- प्रत्येक विषय में उपलब्ध सीटों के आधार पर ही विषय आवंटित किए जायेंगे।
- छात्राओं को पाठ्यक्रम विषयक विस्तृत सूचना सत्रारंभ में ओरियेंटेशन प्रोग्राम व कक्षाओं में दी जायेगी।

संक्षिप्त परिचय

मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सुप्त प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा का उद्‌घाटन, समाज की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा व अभिवृद्धि का नाम है शिक्षा। शिक्षा साक्षरता का पर्याय नहीं, शिक्षा कुछ जानकारियों का संग्रह नहीं, शिक्षा केवल उपाधियों–पदवियों का वितरण अथवा एकीकरण नहीं अपितु वह तो कर्म कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि का पर्याय है, वह तो करणीय–अकरणीय का बोध है, चरित्र बल का सोपान है तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान है। शिक्षा की इस असाधारण महिमा–गरिमा को पहचानकर ही श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा ने 1940 में रुड़की में सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की। 1951 में हाई स्कूल और माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता प्राप्त करके तथा 1966 में 7 विषयों में स्नातक कक्षाओ को आरम्भ कर रुड़की नगर के इस कन्या महाविद्यालय ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विगत दो दशकों में इस महाविद्यालय ने सफलता के उच्चतम शिखरों को स्पर्श किया है। छात्रायें वैज्ञानिक प्रगति के साथ–साथ चल सकें तथा परिवर्तनशील वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें, इस हेतु वर्ष 1998 से महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की कक्षायें भी प्रारम्भ की गयी। विज्ञान के अध्ययन के लिए भवन व व्याख्यान–कक्षों व प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के व्यक्तिगत विकास को दृष्टिगत रखते हुए – सम्पूर्ण सत्र शिक्षण के साथ–साथ सेमिनार, परियोजना कार्य, शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान, कार्यशालायें, एड ऑन कोर्स नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। कला वर्ग के साथ–साथ विज्ञान वर्ग की शिक्षिकायें भी मानक के अनुरूप उच्च शिक्षित हैं। छात्राओ की सुविधा हेतु महाविद्यालय में सत्र 2006–07 से चित्रकला एवं राजनीति शास्त्र विषयो में स्नातकोत्तर कक्षाये प्रारम्भ की जा चुकी हैं। महाविद्यालय की छात्राओं का परीक्षा परिणाम गत वर्षों में उत्कृष्ट (95%) रहा है। वे जहाँ' सर्वाधिक अंकों के कारण विश्वविद्यालय में निरन्तर अपना स्थान बनाती रही हैं वहीं शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अनेक उपलब्धियाँ अर्जित कर रही हैं। श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या महाविद्यालय पठन–पाठन के स्तर को और ऊँचा उठाने, इसके' अनुशासन को अनुकरणीय बनाने के साथ–साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

प्रो० (डॉ०) अनुपमा गर्ग
प्राचार्या

श्री अजय कुमार गर्ग
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष

श्री सौरभ भूषण
सचिव

आधार स्तम्भ

स्व० श्री कृष्ण चंद जी

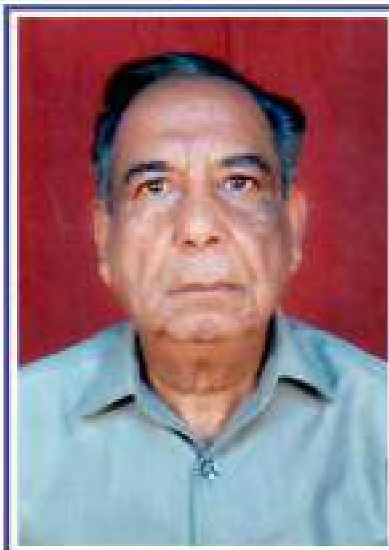

4.3.1926 – 6.1.2016
कार्यकाल : 1967 से 2012
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

स्व० श्री विश्वेश्वर दयाल जी

कार्यकाल : महाविद्यालय स्थापना से वर्ष 1987 तक
सचिव, प्रबन्ध समिति

स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सिंघल

17.8.1942 – 31.5.2012
कार्यकाल : 1987 से मई 2012 तक
सचिव, प्रबन्ध समिति

स्व० श्री रूप चन्द शर्मा

24.10.1924 – 14.3.2009
कार्यकाल : 1966 से प्रबंध समिति के सक्रिय संस्थापक सदस्य
वर्ष 1987 से 2009 तक नव सृजित कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

प्रवेश नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर / महाविद्यालय / संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक वर्ष 2025–2026 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम –

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्वन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन/ विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों / महाविद्यालयों/ संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र / फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार / आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और यह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी / समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान / विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा एक तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत 'धोखाधड़ी से प्रवेश लेना' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर / महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है –

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा

1. महिलाऐं	30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3. दिव्यांग	05 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन०सी०सी० 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री/पति/पत्नी / सगा भाई / बहन	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र / पुत्री पति/पत्नी / सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी / सगा भाई / बहन–	20 अंक
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथया उपविजेता	25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 60 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त यह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/ महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/ संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) व सी० सी० के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.17 अभ्यर्थी द्वारा संबंधित महाविद्यालय / परिसर / संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रैगिंग संबंधी विनियम 2000 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण परिसर में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

अर्हता निर्धारण के नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर / महाविद्यालय / संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2025–2026 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड / यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय संहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।)

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर / महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों / संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थनों द्वारा संचालित जी०ई०–सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय की व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को 06 समूह **A** से **F** में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किए जा रहे है :

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	ड्रांइग एवं पेंटिंग (Drawing & Painting)	भूगोल (Geography)	शिक्षा शास्त्र (Education)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)	सांख्यकि (Statistics)	
गणित (Mathematics)	गृह विज्ञान (Home Science)	योग (Yog)	दर्शनशास्त्र (Philosophy)		
	शारीरिक शिक्षा (Physical Education)	संगीत (Music)			
	मनोविज्ञान (Psychology)	सैन्य विज्ञान (Military Science)			
	मानव विज्ञान (Anthropology)				

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 03 डी०एस०सी०–विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों का चयन करेगा।
विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर मे चयनित डी०एस०सी०–विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
विद्यार्थी दिए गए एक समूह से केवल 01 का डी०एस०सी०–विषय विशिष्ट मूल (DSC&Discipline Specific Core) विषय के रूप में चयन कर सकता है।
अत: विद्यार्थी 02 ये अधिक भाषा अथवा साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व 02 से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई०–सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

नोट :
(1) बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित एवं सांख्यिकी विषय का चयन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की हो।

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई०–सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गणित समूह (Mathematics Group)		
Group A	**Group B**	**Group C**
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry) सांख्यिकी (Statistics) कम्प्यूटर साइंस (Computer Science) इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी (Information Technology) भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science) डाटा साइंस (Data Science)
जीव विज्ञान समूह (Bio Group)		
Group A	**Group B**	**Group C**
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry) वानिकी (Forestry) इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी (Information Technology) भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science) बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology) मानव विज्ञान (Environmental Science) माईक्रोबॉयलोजी (Microbiology)

विषय चयन हेतु दिशा निर्देश

कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE)

8.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी० एस० सी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

8.2 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।

8.3 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव विश्वविद्यालय /महाविद्यालय / संस्थान में सचालिंत विषयो के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।

ए० ई० सी०–क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course): विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का होगा।

एस० ई० सी०–कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षो (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online platforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणित नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

वी० ए० सी०–मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course): स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

आई० ए० पी० सी० (इन्टर्नशिप / प्रोजेक्ट / अप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी आउटरीच) / फील्डवर्क पाठ्यक्रम : इन्टर्नशिप / प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी आउटरीच / फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

Minor Project : स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस०ई०सी० (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

Data Science : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस०ई०सी० के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

List of AECC

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
1	English	1	I	English Language through Literature
			II	English Communication
		2	III	Communication through Digital Tools
			IV	Introduction to Translation
2	Hindi	1	I	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड अ)
			II	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड ब)
		2	III	हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खण्ड अ)
			IV	हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खण्ड ब)
3	Sanskrit	1	I	संस्कृत भाषा एवं साहित्य
			II	संस्कृत भाषा –संज्ञा एवं परिभाषा
		2	III	संस्कृत भाषा –संधि एवं उपसर्ग
			IV	संस्कृत भाषा –कारक एवं प्रत्यय
4	Reasoning and Aptitude		IV	Optional in UG fourth semester (Note : Students can also opt for any of the modern Indian Language / Foreign Language from recognised online learning platforms

LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC'S)

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
1	Botany	1	I	Mushroom Cultivation I
			II	Mushroom Cultivation II
		2	III	Mushroom Cultivation III
			IV	Mushroom Cultivation IV
		3	V	Mushroom Cultivation V
			VI	Mushroom Cultivation VI
		1	I	Nursery Development And Floriculture I
			II	Nursery Development And Floriculture II
		2	III	Nursery Development And Floriculture III
			IV	Nursery Development And Floriculture IV
		3	V	Nursery Development And Floriculture V
			VI	Nursery Development And Floriculture VI
2	Chemistry	1	I	Introduction to Chemistry Laboratory
			II	Laboratory Techniques
		2	III	Cosmetics and Perfumes
			IV	Soap and Detergents Formulation
		3	V	UV and FTIR Spectroscopy
			VI	HPLC and GC Techniques

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
3	Economics	1	I	-
			II	Environmental Economics
		2	III	Entrepreneurship Development Skills
			IV	Fundamentals of Startups
4	English	1	I	Public Speaking and Leadership Skills
			II	Creativity and Performances in Uttarakhand
		2	III	Academic Writing
			IV	Editing and Proof Reading
		3	V	Language and Journalism
			VI	Film Apreciation
5	Computer Science	1	I	Excel
			II	Power Point Presentation
		2	III	Office 365
			IV	Cyber Security Awareness
		3	V	Client-Side Web Technology
			VI	Server-Sdie We Technology
6	Drawing and Painting	1	I	Pencil Sketching Skill
			II	Pencil Shading Skill
		2	III	Poster Designing
			IV	Traditional Composition
		3	V	Nature Study
			VI	Head Study in Charcoal
7	Hindi	1	I	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन
			II	हिन्दी में भाषा कम्प्यूटिंग एवं संचार
		2	III	रचनात्मक लेखन का परिचय
			IV	सोशल मीडिया लेखन
		3	V	पटकथा लेखन
			VI	गढवाली भाषा एवं संस्कृति
8	Mathematics	1	I	Mathematical Techniques
			II	Data Analysis Methods
		2	III	Financial Mathematical Analysis
9	Physics	1	I	Basic instrumentation Skills - I
			II	Basic instrumentation Skills - II
		2	III	Basic instrumentation Skills - III
			IV	Basic instrumentation Skills - IV
		3	V	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques - I
			VI	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques - II
10	Sanskrit	1	I	नित्यनमितिक अनुष्ठान
			II	संस्कृत संगणक
		2	III	ज्योतिषशास्त्र क मूलभूत सिद्धान्त
			IV	संस्कृत छन्द एवं संगीत
		3	V	रंगमंच क सिद्धांत
			VI	भारतीय वास्तकला

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
11	Sociology	1	I	Techniques of Social Research - I (Research Problem Identification and Data Collection)
		2	II	Techniques of Social Research - II (Data Management, Analysis, and Presentation)
		3	III	Applied Anthropology - I (Know you People: Understanding the Ethnic diversity of Uttarakhand)
		4	IV	Applied Anthropology - II (Tribal Skills, Challenges and Opportunities)
		5	V	Public Policy- I (Public Policy Formulation and Stakeholders)
		6	VI	Public Policy- II (Public Policy Evaluation and Impact Assessment)
12	Zoology	1	I	Pearl Culture - Theory & Practical
			II	Vermiculture - Theory & Practical
		2	III	Sericulture - Theory & Practical
			IV	Biofloc Fish Culture - Theory & Practical
		3	V	Immunodiagnostics - Theory & Practical
			VI	Hematological Techniques - Theory & Practical
13	Political Science	1	I	Introduction to Politics and Political Process
			II	Political Leadership
		2	III	Governance & Public Policy
			IV	Introduction to the Indian Constitution
		3	V	Leadership in Democracy
			VI	Political Training
14	Data Science			

नोट: कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक सेमेस्टर में SEC के अन्तर्गत Data Science से संबधित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

List of VAC's

Pool	Year	Semester	Title of the Course
A	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	पंचकोष : व्यक्तित्व का समग्र विकास
	2	III	संस्कृत वाड्गमय में पर्यावरण चेतना
		IV	Vivekanand Studies
B	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Yoga and Human Values
	2	III	Yoga Philosophy and Practices
		IV	Management Paradigm From Bhagvad Gita
C	1	I	Environmental Studies ad Value Education
		II	Food, Nutrition and Health
	2	III	Public Health and Hygience
		IV	Mind Body Medicine

D	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Ecology and Literature
	2	III	Womenhood in India
		IV	Constitutional Values and Fundamental Duties
E	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Healthy Lifestyle for University Students - I
	2	III	Healthy Lifestyle for University Students - II
		IV	Healthy Lifestyle for University Students - III
F	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Culture and Communications
	2	III	Ethics adn Culture
		IV	Ethics and Values in Ancient Indian Traditions
G	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Digital Empowerment
	2	III	Financial Literacy
		IV	Social and Emotional Learning
H	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Meditation
	2	III	Personality Development Through Applied Philosophy of Ramcharitmanas
		IV	Essence of Indian Traditional Knowledge
I	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	सृजनात्मक लेख के आयाम
	2	III	साहित्य संस्कृति और सिनेमा
		IV	भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य
J	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	The Art of Being Happy
	2	III	Swachh Bharat
		IV	Fit India
K	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Reading Indian Fiction in English
	2	III	Vedic Mathematics - I
		IV	Vedic Science

वैधानिक नियत्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल

प्रारूप (क)
छात्रा द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगी।

2. मैं प्रमाणित करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है। और मैं इस महाविद्यालय की नियमित एवं संस्थागत छात्रा रहूँगी।

4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करती हूँ तो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्रा के रूप में प्रवेश लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. **यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार 75% पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा। मैं इस निर्णय का पूर्ण अनुपालन करूँगी।**

7. **कम उपस्थिति के कारण छात्रवृत्ति से वंचित किये जाने का निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा।**

शपथकर्ता / छात्रा के हस्ताक्षर | **प्रति हस्ताक्षरित**

(सम्बन्धित महाविद्यालय /परिसर/ संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)
पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कु0/श्रीमती .... जो मेरे संरक्षण में रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगी एवं उपस्थिति मानको (75% उपस्थिति) को पूर्ण करेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहती है तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

ह० – पिता/माता/अभिभावक

9. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी की दिशा–निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पाईंट ग्रेडिंट प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉईंट
O	Outstanding	91 - 100	10
A+	Excellent	81 - 90	9
A	Very Good	71 - 80	8
B +	Good	61 - 70	7
B	Above Average	51- 60	6
C	Average	41- 50	5
P	Pass	33- 40	4
F	Fail	0 - 32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

विद्यार्थियों को निम्नवत् सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

वार्षिक शुल्क कला संकाय – स्नातक

A: Maintenance Fees		
क्र.सं.	**विवरण**	**शुल्क**
1.	शिक्षण शुल्क	–
2.	प्रवेश शुल्क	10
3.	महंगाई शुल्क	144
4.	विकास शुल्क	100
5.	पंखा शुल्क	50
6.	पुस्तकालय शुल्क	100
7.	विविध शुल्क	100
8.	प्रसाधन शुल्क	50
9.	कम्प्यूटर इण्टरनेट शुल्क	70
10.	जनरेटर / इन्वर्टर शुल्क	50
11.	चित्रकला विषय शुल्क	180
योग (A)		**854**
B: Girls Fund		
12.	क्रीड़ा शुल्क	360
13.	निर्धन छात्रा शुल्क	20
14.	छात्रा कल्याण शुल्क	20
15.	वाचनालय शुल्क	20
16.	परिचय–पत्र शुल्क	40
17.	पत्रिका शुल्क	80
18.	सेशनल परीक्षा शुल्क	100
19.	सांस्कृतिक शुल्क योग	100
20.	रेड क्रास	100
योग (B)		**840**
योग (A + B)		**1694**

नोट :–

1. विश्वविद्यालय / सरकार द्वारा बढ़ाया गया शुल्क देय होगा।
2. परीक्षा शुल्क / (नामांकन शुल्क केवल प्रथम वर्ष की छात्रा हेतु) छात्राओं द्वारा एस०बी०आई० कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करना होगा।
3. प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) प्राप्त करने के लिए सीधे विश्वविद्यालय से सम्पर्क करना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) व चरित्र प्रमाण पत्र (CC) का शुल्क 50–50 रूपये देना होगा।

वार्षिक शुल्क विज्ञान संकाय –स्नातक (स्ववित्त पोषित)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	गणित वर्ग	13280
2.	जीव विज्ञान वर्ग	13680
3.	सूक्ष्म जीव विज्ञान वर्ग	16680
4.	कम्प्यूटर साइंस वर्ग	16780

वार्षिक शुल्क कला संकाय स्नातकोत्तर (स्ववित्त पोषित)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	राजनीति विज्ञान	16100 (8050 प्रति सेमेस्टर)
2.	चित्रकला	8200 (4100 प्रति सेमेस्टर)

नोट :

1. समस्त छात्राओं को परीक्षा शुल्क तथा प्रथम वर्ष की छात्राओं को नामांकन शुल्क / पंजीकरण शुल्क एस०बी०आई० कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में छात्राएँ स्वयं आनलाईन जमा करेंगी।
2. प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) प्राप्त करने के लिए सीधे विश्वविद्यालय से सम्पर्क करना होगा।
3. फीस रसीद व परिचय पत्र दोबारा बनवाने पर 75/– रूपये शुल्क देना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) व चरित्र प्रमाण पत्र (CC) का शुल्क 50–50 रूपये देना होगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

- स्वच्छ एवम् हरियाली युक्त वातावरण में स्थित महाविद्यालय परिसर ।
- पठन–पाठन हेतु हवादार एवम् प्रकाशयुक्त व्याख्यान कक्ष।
- 25 हजार पुस्तकों, विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रिकाओं युक्त समृद्ध पुस्तकालय ।
- समस्त सुविधायुक्त विज्ञान प्रयोगशालायें।
- आधुनिक दृश्य–श्रव्य (Audio&Visual) उपकरणों से युक्त व्याख्यान कक्ष।
- नवीनतम कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा।
- स्वच्छ जल हेतु वाटर कूलर की सुविधा।
- स्वच्छ पेयजल एवं कैन्टीन सुविधा।
- विद्युत आपूर्ति हेतु 25 KVA क्षमता का जैनरेटर।
- फोटो स्टेट मशीन की सुविधा।

सामान्य नियम

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्षेत्र को शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण एवं उच्च्व स्थान रखता है। **महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएँ इस संस्था के सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतिनिधि है।** अतः संस्था के बाहर एवं अन्दर उनका व्यवहार संस्था की गरिमा के अनुकूल होना चाहिये। महाविद्यालय की सुव्यवस्था और उसके आदर्शो के निर्वाह हेतु कुछ बातें याद रखनी अपेक्षित हैं –

- एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय अथवा पीरियड आरम्भ होने के 3 मिनट के अन्दर सब छात्राएँ अपनी–अपनी कक्षाओं में बैठें, जो छात्रायें Free है वे पुस्तकालय में जायें अथवा उनके लिये जो स्थान नियत किया गया है, वहीं बैठे।
- कक्षा के सामने, कार्यालय के सामने अथवा मेन गेट के सामने घूमने या झुण्ड बनाकर बात करने से विघ्न पहुँचता है, अतः छात्रायें इन स्थानों पर बिल्कुल भी खड़ी न हो यदि कोई छात्रा इन स्थानों पर खड़ी या बातें करती पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- छात्राओं का यह निजी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर लगे हुए नोटिस को पढ़कर जाये यदि कोई छात्रा नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ती और मांगी सूचना नियत तिथि पर नहीं देगी तो इसकी हानि का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। अगर छात्राएँ प्राचार्या अथवा प्रोक्टर की अनुमति के बिना नोटिस बोर्ड पर कोई भी नोटिस लिखेंगी तो उन्हें दण्डित किया जायेगा।
- छात्राओं के लिए राष्ट्रीय पर्वो पर महाविद्यालय में उपस्थित होना अपेक्षित है।
- छात्रायें परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगी। महाविद्यालय के बाहर भी छात्रायें पूर्ण शिष्टता का व्यवहार करेंगी। यदि उन्हें महाविद्यालय समय में अनुचित स्थानों पर घूमते, अभद्रता का व्यवहार करते या कोई अशोभनीय कार्य करते देखा गया तो उन्हें महाविद्यालय से सस्पेंड कर दिया जायेगा।
- यदि छात्रायें महाविद्यालय में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहती हैं तो उन्हें दक्ष प्राध्यापिकाओं द्वारा मार्ग दर्शित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक कार्य प्राचार्या की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
- छात्राओं को चाहिए कि कालेज से सीधा घर जायें और घर से सीधी कॉलेज में आयें। यदि कोई छात्रा

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

- स्वच्छ एवम् हरियाली युक्त वातावरण में स्थित महाविद्यालय परिसर ।
- पठन–पाठन हेतु हवादार एवम् प्रकाशयुक्त व्याख्यान कक्ष।
- 25 हजार पुस्तकों, विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रिकाओं युक्त समृद्ध पुस्तकालय ।
- समस्त सुविधायुक्त विज्ञान प्रयोगशालायें।
- आधुनिक दृश्य–श्रव्य (Audio&Visual) उपकरणों से युक्त व्याख्यान कक्ष।
- नवीनतम कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा।
- स्वच्छ जल हेतु वाटर कूलर की सुविधा।
- स्वच्छ पेयजल एवं कैन्टीन सुविधा।
- विद्युत आपूर्ति हेतु 25 KVA क्षमता का जैनरेटर।
- फोटो स्टेट मशीन की सुविधा।

सामान्य नियम

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्षेत्र को शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थान रखता है। **महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएँ इस संस्था के सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतिनिधि है।** अतः संस्था के बाहर एवं अन्दर उनका व्यवहार संस्था की गरिमा के अनुकूल होना चाहिये। महाविद्यालय की सुव्यवस्था और उसके आदर्शो के निर्वाह हेतु कुछ बातें याद रखनी अपेक्षित हैं –

- एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय अथवा पीरियड आरम्भ होने के 3 मिनट के अन्दर सब छात्राएँ अपनी–अपनी कक्षाओं में बैठें, जो छात्रायें Free है वे पुस्तकालय में जायें अथवा उनके लिये जो स्थान नियत किया गया है, वहीं बैठे।
- कक्षा के सामने, कार्यालय के सामने अथवा मेन गेट के सामने घूमने या झुण्ड बनाकर बात करने से विघ्न पहुँचता है, अतः छात्रायें इन स्थानों पर बिल्कुल भी खड़ी न हो यदि कोई छात्रा इन स्थानों पर खड़ी या बातें करती पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- छात्राओं का यह निजी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर लगे हुए नोटिस को पढ़कर जाये यदि कोई छात्रा नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ती और मांगी सूचना नियत तिथि पर नहीं देगी तो इसकी हानि का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। अगर छात्राएँ प्राचार्या अथवा प्रोक्टर की अनुमति के बिना नोटिस बोर्ड पर कोई भी नोटिस लिखेंगी तो उन्हें दण्डित किया जायेगा।
- छात्राओं के लिए राष्ट्रीय पर्वो पर महाविद्यालय में उपस्थित होना अपेक्षित है।
- छात्रायें परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगी। महाविद्यालय के बाहर भी छात्रायें पूर्ण शिष्टता का व्यवहार करेंगी। यदि उन्हें महाविद्यालय समय में अनुचित स्थानों पर घूमते, अभद्रता का व्यवहार करते या कोई अशोभनीय कार्य करते देखा गया तो उन्हें महाविद्यालय से सस्पेंड कर दिया जायेगा।
- यदि छात्रायें महाविद्यालय में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहती हैं तो उन्हें दक्ष प्राध्यापिकाओं द्वारा मार्ग दर्शित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक कार्य प्राचार्या की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
- छात्राओं को चाहिए कि कालेज से सीधा घर जायें और घर से सीधी कॉलेज में आयें। यदि कोई छात्रा

कॉलेज आती है और कॉलेज आकर किसी विषय का पीरियड अटैण्ड नहीं करती तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- यदि छात्राओं से उनके भाई, चाचा या कोई पुरूष सम्बंधी विशेष कारण से मिलने आये तो वो प्राचार्या की अनुमति से ही मिल सकेंगे अन्यथा नहीं।
- शैक्षिक योग्यता के साथ सादगी के गुण और उत्तम विचारों की जागृति की ओर पूर्ण ध्यान दें।
- ऊपर की मंजिल पर खड़े होकर नीचे की मंजिल पर बात करना वर्जित है। अन्तिम मंजिल की छत पर चढ़ना भी वर्जित है।
- छात्रा / अभिभावक कोई भी जानकारी सीधे कार्यालय में अथवा नोटिस बोर्ड पर ही देखें। फोन द्वारा सूचना प्राप्त न करें।
- छात्राओं को प्रत्येक सेमेस्टर में होने वाली आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अत्यन्त आवश्यक है। चिकित्सा सम्बन्धी अथवा अन्य अपिरहार्य स्थिति में सम्यक प्रमाण पत्र सहित महाविघालय को पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा निदेशालय प्राप्त निर्देशानुसार तथा वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते डिजिटलीकरण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के द्वारा विविध दिशा–निर्देश ऑन लाइन माध्यमों से भी प्रेषित किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम का कुछ अंश ऑन लाइन कक्षाओं द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। अतः छात्राएं ऑन लाइन उपलब्धता हेतु उपर्युक्त साधन अपने पास रखें।
- छात्रा प्रवेश फार्म में अपना स्थाई फोन नं० दें। नम्बर परिवर्तित होने पर तत्काल कार्यालय को सूचित करें। इसके अतिरिक्त अभिभावक का नंबर तथा एक अतिरिक्त नंबर भी दें जिससे किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संपर्क किया जा सके।

अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था अनुशासन समिति के तत्वावधान में की जाती है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (चीफ प्रॉक्टर) व प्रॉक्टर्स तथा प्रीफैक्ट वर्ग से मनोनीत प्रीफैक्ट सामूहिक रूप से इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। छात्राएँ कक्षाओं के उपरान्त ही महाविद्यालय परिसर से बाहर जा सकेगी। अनुशासन– समिति को अनुशासन भंग करने की दोषी छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार है। सभी छात्राओं से आशा की जाती है कि अपनी गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगी।

यूनिफार्म

छात्राओं को महाविद्यालय की यूनिफार्म श्वेत वस्त्र में आना अनिवार्य है अन्य परिधान पहनने की अनुमति नहीं है। भारतीय नारी की गरिमा के अनुरूप परिधान बनवायें। सलवार कुर्ते के साथ जैकेट (बी०ए०–महरून, बी०एससी०–गहरा हरा, एम०ए०–गहरा नीला) एवं काले जूते पहनना अनिवार्य है। सर्दियों में काला स्वेटर/कोट पहनें।

वाहन पार्किंग

छात्राएं परिसर में साइकिल लेकर आ सकती हैं। अन्य वाहन (स्कूटी / मोटर चालित वाहन) अनुमन्य नहीं होंगे। छात्राएं साइकिल नियत स्थान / स्टैण्ड पर ही खड़ी करें। अन्यत्र खड़े वाहनों के खोने या अन्य प्रकार के भी नुकसान के लिए महाविद्यालय किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने हेतु दण्डित किया जा सकता है।

उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 315 / XXIV-C-1/2025&12 (10) दिनांक 27 मार्च 2025 के अनुसार कोई भी छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगी जब तक कि वह व्याख्यान और टयुटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करती। विज्ञान के विषयों अथवा ऐसे अन्य विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक कक्षायें होती हैं, प्रयोगात्मक कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में, व्याख्यान और सेमिनार / प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6 प्रतिशत तक की छूट संकायाध्यक्ष / डीन / प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर लिया हो। या

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिये किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिये कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिये विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन०सी०सी० शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोट :– सभी पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने के तिथि से गिनी जायेगी।

आचार संहिता

- छात्राओं का ऐसा व्यवहार जो कि महाविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रशासनिक व्यवस्था अथवा अन्य गतिविधियों को बाधित करेगा, दण्डनीय होगा।
- छात्राएँ महाविद्यालय में किसी के साथ भेदभावमूलक (धर्म/लिंग/जाति/वंश/नस्ल/शारीरिक अथवा शाब्दिक दुर्व्यवहार नहीं करेगी।
- छात्राओं द्वारा महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाना दण्डनीय अपराध होगा।
- आई कार्ड के बिना महाविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश वर्जित होगा। आई कार्ड में भी सभी सूचनाएँ पूर्ण रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।
- महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल, हथियार, प्रतिबन्धित दवाएँ, पटाखे, विध्वंसकारी सामान आदि लाना सख्त प्रतिबन्धित है।
- छात्राएँ बिना प्राध्यापिका की अनुमति के मोबाइल द्वारा परिसर मेंऑडियो या वीडियो रिकार्डिंग नहीं करेगी।
- छात्राएँ सोशल मीडियां का प्रयोग महाविद्यालय की साख को क्षति पहुँचाने हेतु नहीं करेंगी। महाविद्यालय में

पाठयेत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

छात्राओं के बहुमुखी विकास एवं उन्हें समसामयिक विषयों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में विषय–परिषद एवं समितियाँ गठित हैं जिनके द्वारा वर्ष पर्यन्त अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है यथाः–

- वाद–विवाद, विचार प्रस्तुति एवं निबन्ध लेखन प्रतियोगिता ।
- कार्यशाला सेमिनार, परियोजना–कार्य एवं पाठ्येत्तर कोर्सेज ।
- चित्र एवं हस्तकला कौशल आधारित प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी ।
- सांस्कृतिक गतिविधियाँ – नृत्य, गायन एवं नाट्य प्रस्तुतियाँ।
- विभिन्न सामयिक मुद्दों / विषय आधारित अतिथि व्याख्यान ।

खेलकूद प्रतियोगिताएँ :

"स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है" इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं के सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु महाविद्यालय में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं यथा –

- वार्षिक खेलकूद स्पर्द्धाओं का आयोजन (इन्डोर तथा आउटडोर)
- अंतर्महाविद्यालयी एवं राज्य/राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता।
- आत्मरक्षा हेतु ताइक्वांडों प्रशिक्षण
- योगाभ्यास प्रशिक्षण

राष्ट्रीय सेवा योजना :

राष्ट्रीय सेवा हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है जिसमें 100 छात्रायें पंजीकृत की जाती है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण, पोलियो उन्मूलन, एड्स जनजागरण, रक्तदान, मद्य निषेध, साक्षरता आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सक्रिय है। इस योजना में केवल बी०ए०/ बी०एससी० प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्राएँ प्रवेश ले सकती है प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ही रा०से०यो० में अपना नाम पंजीकृत करना होता है। द्वितीय वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण कराना होगा। इसके लिये प्रवेशार्थी नोटिस बोर्ड पर सम्बंधित सूचनाएँ नियमित रूप से देखें और कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करें। इस योजना के मुख्य रूप से दो कार्यक्रम हैं :–

1. नियमित कार्यक्रम 2. सात दिवसीय दिन रात का विशेष शिविर कार्यक्रम

रा०से०यो० में पंजीकृत छात्राओं को लगातार दो वर्षो में नियमित कार्यक्रम के रूप में 240 घण्टे एवं सात दिवसीय शिविर पूर्ण करने पर ही स्वयं सेवक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। रा०से०यो० के 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अलग से परीक्षा देनी होगी।

पुस्तकालय – पुस्तकालय किसी भी संस्था का प्राण एवं उसकी महत्ता का द्योतक होता है महाविद्यालय में छात्राओं के लिये एक वृहद एवं सम्पन्न पुस्तकालय है। छात्राओं से आशा की जाती है कि वे नियमित रूप से पुस्तकालय में बैठकर अधिकाधिक ज्ञानोपार्जन करें। प्रवेश के समय ही प्रत्येक छात्रा को लाइब्रेरी कार्ड issue किया जायेगा। छात्राओं को पूरे वर्ष उनके नियत दिवसों पर पुस्तकें ली तथा दी जायेंगी। पुस्तकालय में पढ़ने के लिये पुस्तक लाइब्रेरी कार्ड जमा करने पर ही दी जायेगी। छात्राएँ पुस्तकालय में आवश्यक रूप से शांति बनाये रखे प्रत्येक छात्रा पुस्तकालयाध्यक्षा की आज्ञा एवं पुस्तकालय के नियमों का पालन करते हुये अनुशासन बनाये रखेगी। पुस्तकालय में पुस्तक लेकर जाना वर्जित होगा। यदि छात्राएँ निर्दिष्ट तिथि पर पुस्तक नहीं लौटाएगी तो उन्हें निर्दिष्ट तिथि से प्रतिदिन निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त शोध

पत्रिकाएं समसामयिक पत्रिकाएं, लघु शोध प्रबंध, इन्साइक्लोपीडिया, सी०डी० व अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध हैं।

बुक बैंक – प्राध्यापिका वर्ग एवं भूतपूर्व छात्राओं द्वारा प्रदत्त पुस्तकों से स्थापित बुक बैंक विभिन्न विषयों की पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर निर्धन छात्राओं को पूरे सत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तक प्रदान करता है।

महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका – महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका अपराजिता प्रकाशित की जाती है जिसमें महाविद्यालय की प्रगति आख्या के साथ अध्ययनरत् छात्राओं एवं शिक्षक वर्ग के मूललेख, कविता, कहानी इत्यादि का संकलन होता है।

कैरियर एवं गाइडेन्स – छात्राओं के भविष्य के उन्नयन हेतु महाविद्यालय में कैरियर गाइडेन्स सेल वर्षपर्यन्त क्रियाशील रहता है। जिसके अर्न्तगत कैरियर काउंसलिंगके साथ–साथ कैरियर संबंधी विविध व्याख्यानों, कार्यशालाओं, पाठयक्रमों इत्यादि का संचालन किया जाता है।

शिकायत निवारण – छात्राओं की विभिन्न शैक्षिक, व्यक्तिगत व अन्य समस्याओं के निवारण हेतु महाविद्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके सुचारु क्रियान्वयन हेतु पुस्तकालय में एक सुझाव पेटिका रखी गयी है, जिसके माध्यम से छात्राएँ अपनी विभिन्न समस्याएं एवं सुझाव प्रेषित कर सकती है।

छात्रा कल्याण समिति – छात्राओं की सहायता के लिए छात्र कल्याण योजनाएं जैसे छात्रवृत्तियाँ, बुक बैंक, यूनीफार्म बैंक इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। समय–समय पर छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शहर के दूरस्थ स्थानों से आने वाली छात्राओं के लिए बस–पास की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जाती है।

नेशनल डिजिटल पोर्टल https://scholarships.gov.in डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्राएं SC /ST/ OBC /EBC छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकती हैं जिसके लिए 75% कक्षा उपस्थिति अनिवार्य है। छात्रा एक सत्र में केवल एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती है। संबंधित सूचनाऐं नोटिस बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रेषित की जाती है

- **निर्धन छात्रा कोष** निर्धन छात्रा कोष से प्रति वर्ष छात्राओं को आर्थिक सहायता नियमानुसार वितरित की जाती हैं। इच्छुक छात्राएँ नोटिस बोर्ड पर लगी सूचनानुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकती हैं। छात्रा कल्याण समिति के माध्यम से छात्राएं स्वेटर, ड्रेस आदि के लिए भी आवेदन कर सकती हैं।

अन्य छात्रवृत्तियाँ

- **व्यक्तिगत दानदाता** – बालिका शिक्षा को अनवरत जारी रखने हेतु व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नोट : किसी भी छात्रवृत्ति / आर्थिक सहायता हेतु छात्रा की महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड अनिवार्य है।

COMMITTEE INCHARGE LIST 2025-26

Dr. Alka Arya

1. Academic and Administration Audit Committee
2. Exam Committee
3. Magazine Committee
4. Report-Social Media/Website Committee
5. Time table Committee
6. Purchase Committee
7. N.E.P. - 2020 Samarth Portal Implementation Committee

Dr. Archana Chauhan

1. Cultural Committee
2. Parents Teaching Association Incharge
3. Alumni Committee
4. Admission Committee (Member)
5. NSS (Programme Officer)
6. Discipline Committee (Member)

Dr. Bharti Sharma

1. Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
2. Discipline Committee
3. Vistaar Prakoshtha
4. Research/Innovation/Incubation Cell
5. Exam Committee (Member)

Mrs. Anjali Prasad

1. Games Committee
2. SC/ST/OBC Cell
3. Library Committee
4. E-Learning Cell
5. Student Service and Welfare Center (Member)
6. Student Grievance/Safety & Empowerment Cell (Member)
7. IQAC (Member)

Dr. Kamna Jain

1. Admission Committee
2. Student Welfare/ Service Center
3. Student Grievance/Safety & Empowerment Cell
4. IQAC (Co-Coordinator)
5. Career and Guidance Cell
6. Purchase Committee (Member)

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग

प्राचार्या–डा० अनुपमा गर्ग

शिक्षक वर्ग

कला संकाय स्नातक

1. डॉ० अनुपमा गर्ग	प्रोफेसर, अंग्रेजी	8.	पद रिक्त	संस्कृत
2. डॉ० अलका आर्य	प्रोफेसर, चित्रकला	9.	पद रिक्त	राजनीति विज्ञान
3. डॉ० भारती शर्मा	एसो० प्रोफेसर, अंग्रेजी	10.	पद रिक्त	हिन्दी
4. डॉ० कामना जैन	एसो० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान	11.	पद रिक्त	हिन्दी
5. डॉ० किरन बाला	एसो० प्रोफेसर, समाजशास्त्र	12.	पद रिक्त	अर्थशास्त्र
6. डॉ० अर्चना चौहान	सीनियर असि० प्रोफेसर, चित्रकला			
7. श्रीमती अंजलि प्रसाद	सीनियर असि० प्रोफेसर, समाजशास्त्र			

नोट– प्रबंधकीय व्यवस्था के अन्तर्गत सुश्री काजल (हिन्दी), सुश्री रिक्की (संस्कृत), सुरी शिल्पा (अर्थशास्त्र) शिक्षण सत्र ने अस्थायी रूप से कार्यरत रहीं।

विज्ञान संकाय स्नातक - स्ववित्तपोषित

1. डॉ० असमा सिद्दीकी	–	वनस्पति विज्ञान	9. सुश्री नीशू नामदेव	–	रसायन विज्ञान
2. डॉ० उमा रानी	–	वनस्पति विज्ञान	10. श्रीमती अंकन शर्मा	–	रसायन विज्ञान
3. डॉ० मधु मेहरा	–	जन्तु विज्ञान	11. डॉ० पारुल चड्ढा	–	गणित
4. सुश्री गरिमा	–	जन्तु विज्ञान	12. सुश्री शीतल	–	गणित
5. हर्पिता धीमान	–	कम्प्यूटर साईंस	13. सुश्री रेवा घारिवाल	–	सूक्ष्मजीव विज्ञान
6. श्रीमती दीप्ति नागपाल	–	कम्प्यूटर साईंस	14. सुश्री अपूर्वा	–	सूक्ष्मजीव विज्ञान
7. डा० ज्योतिका	–	भौतिक विज्ञान	15. सुश्री हर्षिता भाटिया	–	अंग्रेजी प्रवक्ता
8. श्रीमती पल्लवी सिंह	–	रसायन विज्ञान			

चित्र एवं रंजनकला स्नातकोत्तर - स्ववित्तपोषित

1. श्रीमती हिना देवी   2. सुश्री ईशा सैनी   3. डॉ० स्वर्णलता मिश्रा (अतिथि प्रवक्ता)

राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर - स्ववित्तपोषित

1. डॉ० शालिनी वर्मा   2. डॉ० रूचि गहलोत   3. सुश्री शाहिमा

शिक्षणेत्तर वर्ग

नियमित

1. तीन पद रिक्त	–	नैत्यिक लिपिक
2. पद रिक्त	–	पुस्तकालयाध्क्षा
3. पद रिक्त	–	कार्यालय अधीक्षक
4. पद रिक्त	–	पुस्तकालय लिपिक

स्ववित्तपोषित

1.	श्री राकेश कुमार	–	वरिष्ठ लिपिक
2.	श्री निशांत पंडित	–	पुस्तकालय लिपिक
3.	श्रीमती प्रीति शर्मा	–	पुस्तकालय लिपिक
4.	श्री अजय अविनाश	–	कम्प्यूटर ऑपरेटर
5.	श्रीमती मुक्ता रानी	–	पुस्तकालय लिपिक
6.	श्री वरुण अग्रवाल	–	कार्यालय सहायक

प्रयोगशाला सहायक, स्ववित्तपोषित

1. श्री विनोद कुमार	–	वनस्पति विज्ञान	2.	श्री शिव मंगल वर्मा	–	जन्तु विज्ञान
3. श्री संदीप भटनागर	–	रसायन विज्ञान	4.	श्रीमती नीतू तायल	–	कम्प्यूटर विज्ञान

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री रवीन्द्र कुमार	2. श्री रामराज शर्मा	1. श्री अमन कुमार	2. श्री तेलूराम
3. श्री पंकज कुमार	4. तीरथ पाल	3. श्री मुकेश कुमार	4. श्री शगुन
5. श्री आशीष बिरला	6. श्रीमती शुभलेश	5. श्री गगन अरोड़ा	6. श्री सत्यप्रकाश
7. श्री उमेश कुमार	8. श्री राजेश कुमार		

महाविद्यालय में संचालित एडऑन / सर्टीफिकेट कोर्सेज़

ताइक्वांडो

योगा

टैक्टाइल प्रिंटिंग

क्ले मॉडलिंग एवं सैन्ड आर्ट

मशरूम कल्टिवेशन

बायोडाइवर्सिटी एवं कन्सर्वेशन

बेसिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

Vision & Mission

Vision:

- To provide quality education aiming at holistic development of students.
- To develop cohesive leadership at all levels so as to provide a vibrant culture sensitive to the needs of society and nation.
- To empower girls by enhancing their capabilities and potential through career oriented programs and activities.
- Top collaborate with educational institutions of repute for exchange and expansion of knowledge.
- To provide safe, healthy and sustainable atmosphere to support teaching-learning and research.

Mission

To facilitate and provide quality education to girls imbibing, moral values, fostering leadership and managerial excellence to serve the nation the 21st century.